273

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0– 11–30
क्रमांक–960/2017
आरबीई सं0–131/2017

सं0 ई/283/I/भाग-3 (चार)

दिनॉक 13–12–2017
26/12

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषयः–अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानान्तरण।

रेलवे बोर्ड का पत्र सं0 ई(एनजी)I–2017/टीआर/24 दिनांक 22.09.2017 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(यू0 पी0 सिंह)
उपमुकाधि/अराज.
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर – 40 प्रतियों में।
2– महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
3– महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर – 02 प्रतियों में।
4– पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर – 01 प्रति में।
5– महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0–02 प्रतियों में
6– मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु – 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

आर.बी.ई. सं. 131/2017

महाप्रबन्धक उत्तर रेलवे गोरखपुर
01 DEC 2017
महाप्रबन्धक सचिव

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड)/(RAILWAY BOARD)

NER

सं. इ(एनजी)।-2017/टीआर/24

नई दिल्ली, दिनांक 22.09.2017

06.12.17
मुख्यालय
मुख्यालय / प्रशा०

महाप्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: अंतर रेलवे पारस्परिक स्थानांतरण।

इस कार्यालय के दिनांक 15.09.2017 के समसंख्यक पत्र (आर.बी.ई. सं. 130/2017) के क्रम में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाया गया है। अब से, *मंडल द्वारा नियंत्रित पदों के लिए* एक रेलवे के मंडल से दूसरे रेलवे के मंडल में निर्धारित फार्मेट में दोनों आवेदकों द्वारा यथोचित हस्ताक्षरित पारस्परिक स्थानांतरण के आवेदनों को मुख्यालय कार्यालयों के माध्यम से भेजने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले को केवल संबंधित मंडलों द्वारा सीधे निपटाया जाएगा। *मुख्यालय नियंत्रित पदों के लिए प्रचलित प्रक्रिया जारी रहेगी।*

2. कार्यकलाप तथा निर्धारित समय-सीमा:

क्रम सं.	कार्यकलाप	समय-सीमा
(i)	**पर्यवेक्षकों द्वारा, मंडल के कार्मिक विभाग को आवेदन अग्रेषित करना:** इस स्तर पर यह सत्यापित किया जाना चाहिए कि निर्धारित आवेदन फार्म पूरी तरह से भरा हुआ है और इस पर दोनों आवेदकों द्वारा यथोचित रूप से हस्ताक्षर किए गए हैं तथा इसमें सही सूचना दी गई है।	10 दिन

TRANFER

Received 6.12.2017

(ii)	**मंडल कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना:-**	
(क)	<u>मंडल द्वारा नियंत्रित पद:-</u> मंडल कार्मिक विभाग, आवेदन को सीधे उस, संबंधित मंडल, जहां के लिए स्थानांतरण मांगा गया है, को आवश्यक दस्तावेजों के साथ अग्रेषित करेगा। अग्रेषण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी के नाम तथा पदनाम का उल्लेख निरपवाद रूप से किया जाना चाहिए।	15 दिन
(ख)	<u>मुख्यालय नियंत्रित पद:-</u> कार्मिक विभाग आवेदन को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जोनल मुख्यालय (सीपीओ कार्यालय) को अग्रेषित करेगा।	
(iii)	**मुख्यालय कार्मिक विभाग द्वारा अग्रेषित करना (मुख्यालय नियंत्रित पदों के लिए) :-** मंडल/वर्कशाप से यथोचित अग्रेषित आवेदन के प्राप्त होने पर मुख्यालय कार्मिक विभाग कार्यालय इसे संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई को अग्रेषित करेगा।	15 दिन
नोट:	*पारस्परिक स्थानांतरण समान ग्रेड तथा संवर्ग के दो कर्मचारियों के मध्य है। कार्मिक विभाग द्वारा आवेदनों के निपटान के प्रत्येक स्तर पर इसका सत्यापन किया जाना चाहिए।*	
(iv)	**स्वीकृति की सूचना देना:-** संगत मुख्यालय/मंडल, अग्रेषण मुख्यालय/मंडल को (जैसा भी मामला हो) उनकी स्वीकृति की सूचना देगा।	10 दिन
(v)	**स्थानांतरण आदेश जारी करना:-** प्राप्तकर्ता मुख्यालय/मंडल से सहमति प्राप्त होने पर स्थानांतरण आदेश जारी किए जाने चाहिए।	10 दिन
(vi)	**कार्यमुक्त करना/ छोड़ना:-** एक बार स्थानांतरण आदेश जारी हो जाने पर; <u>कर्मचारियों को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए और वरिष्ठ कर्मचारियों को प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए।</u> यह उस संबंधित शाखा अधिकारी/विभाग के मुखिया का दायित्व होगा, जिसके अधीन वह कर्मचारी कार्य कर रहा हो (संदर्भ बोर्ड का दिनांक 30.04.2014 का पत्र सं. ईआरपी/पोर्टल-ट्रांसफर/2013 और दिनांक 04.12.2007 का सं. ई(एनजी)-2007/टीआर/26)	15 दिन

(vii)	**एलपीसी और सेवा पंजिका को भेजना:-** बोर्ड के दिनांक 21.11.2001 के पत्र सं. ई(एनजी)I-2001/टीआर/16 के अनुसार संबंधित कार्मिक विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारी (कर्मचारियों) की एलपीसी और सेवा पंजिका नए मंडल/जोन आदि को शीघ्रता से भेजे गए हों। सेवा पंजिका की सत्यापित प्रतिलिपि संबंधित कर्मचारी को दी जानी चाहिए।	15 दिन

नोट: (i) आवेदन अग्रेषित करते समय फाइल को संबंधित शाखा अधिकारी/विभाग के मुखिया के माध्यम से भेजने की आवश्यता नहीं है। संबंधित मंडल/मुख्यालय में शाखा अधिकारी/विभाग के मुखिया के साथ परामर्श केवल कर्मचारी को कार्यमुक्त करते समय किया जाना चाहिए।

(ii) तदनुसार, शक्तियों की अनुसूची (एसओपी)में आवश्यक आशोधन किए जाने चाहिए।

3. चूंकि पारस्परिक स्थानांतरण के आदेश दोनों कर्मचारियों की सहमति से दिए जाते हैं, अतः आवेदन अग्रेषित करते समय यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में पारस्परिक स्थानांतरण की प्रकिया को वापस लेने के किसी आवेदनपर विचार नहीं किया जाएगा (संदर्भ बोर्ड का दिनांक 21.04.2016 का पत्र सं. ई(एनजी)I-2006/टीआर/6)।

4. यह स्पष्ट रूप से नोट किया जाए कि मंडल स्तर पर मंडल कार्मिक अधिकारी (डीपीओ) अथवा सीनियर डीपीओ और वर्कशॉप में डब्ल्यूपीओ से नीचे के स्तर के किसी अधिकारी द्वारा आवेदन अग्रेषित नहीं किया जा सकता। डिप्टी सीएमएम, डब्ल्यूएम, एईएन और ऐसे अन्य अधिकारी/इकाई निरपवाद रूप से आवेदनों को उनके संबंधित कार्मिक अधिकारी के माध्यम से भेजेंगे और वे सीधे अन्य मंडल/इकाई को आवेदन अग्रेषित नहीं करेंगे।

5. रेलवे कर्मचारियों के पारस्परिक स्थानांतरण को नियमित करने वाली अन्य सभी शर्तें तथा नियम प्रभावी रहेंगे।

कृपया पावती दें।

उप निदेशक-